न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. श्री शंकर सिंह पुत्र श्री देवी सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- लौटाना, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
(विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्मः- मैसर्स हरिओम किराना एण्ड जनरल स्टोर, विरोली रोड क्रास, हनुमान मंदिर के पास, वीरवाडा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

2. श्री कैलाशचन्द्र खण्डेलवाल, भैरु चौक ईडाजी नगर, सुमेरपुर, जिला- पाली
(खाद्यकाराबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्मः- मैसर्स अरावली स्टोर, सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, सिरोही, जिला- सिरोही

3. श्री जयन्ती लाल पटेल पुत्र हीराभाई पटेल,
20, तुलसी एवेन्यु, असलाली, तालुका- दासकरोई, जिला- अहमदाबाद
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्मः- मैसर्स पंजाचमृत प्रोडक्टस्, सताधर टेनामेन्ट, बडौदा एक्सप्रेस हाईवे के पास, जसोदानगर, वाटवा रोड, अहमदाबाद

4. श्री शांतिलाल पुत्र कालुभाई पटेल,
A/6, Tirth Nagar society, Jogeshwari road, C.T.M. Amraiwadi, Ahmadabad-380026
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता)

फर्मः- TIRUPATI FOOD PRODUCTS,
R/6, Shiv Shakti Estate, B/h Hotel Alfa, At Post-Aslali, Ta. Daskroi, Dist. Ahmedabad-382427

प्रकरण संख्याः 22/2017

''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर, प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 19 दिसम्बर, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खांद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 15.8.2016 को समय 12.30 पी.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी फर्म मैसर्स हरिओम किराना एवं जनरल स्टोर, विरोली रोड क्रास, हनुमान मंदिर के पास, वीरवाडा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति शंकर सिंह पुत्र श्री देवीसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- लौटाना, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही एवं हरिओम किराना एण्ड जनरल स्टोर पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजदू है, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विकय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान की आलमारी में बिक्री हेतु मौजूद INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) के 10 पैक्ड जार (प्रत्येक एक-एक लीटर) में से INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) के एक-एक लीटर के 4 पैक्ड जार क्रय किये एवं उसकी कीमत रुपये 920/- (अक्षरे रुपये नौ सौ बीस) अदा कर खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या-5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नंबर 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद, मूल फार्म नं.5ए न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) के चारों नमूना जारो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-634 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता शंकर सिंह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 16.8.2016 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 16.8.2016 को शेष तीन सील बन्द नमूना

....पेज तीन पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही-307001.

भाग मय फार्म नंबर 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता शंकर सिंह से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) का नमूना S-634 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता शंकर सिंह को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु पुनः जांच हेतु आवेदन प्राप्त नही हुआ। इस प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) का निर्माण एवं विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधियिम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर उपस्थित हुये। जिन्होनें प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किये।

(3) प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 19.12.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। अभियुक्तगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह तथ्य मिथ्या अंकित किया है कि प्रतिवादी निर्माता कम्पनी श्री अमृत ब्राण्ड वेजिटेबल फेट को आम जनता के उपयोग और उपभोग के लिये विक्रय करती है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी निर्माता फर्म द्वारा उत्पादीत उक्त वेजिटेबल फेट केवल पशुओं के लिये और छोटे मोटे कार्यो के लिये उपयोग में आता है और डिब्बे के लेबल पर भी कहीं भी ''घी'' शब्द का अंकन नही किया गया है, इसके अलावा उक्त वेजिटेबल फेट में काम आने वाले सभी तत्वों और उनकी प्रतिशत मात्रा का उल्लेख भी लेबल पर

....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

उल्लेख किया हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर डिब्बे के लेबल पर न तो कोई सीरीयल नम्बर अंकित किये थे और न ही लेबल पर दिनांक, स्थान और खाद्य पदार्थ का नाम अंकित किया था और न ही उक्त वेजीटेबल फेट को नियमानुसार सील चपडी किया गया था। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने की विधिक प्रक्रीया मौके पर नही अपनाई थ और न ही मौके पर फर्द तैयार की थी, बल्कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी संख्या-1 के खाली पेपर्स पर हस्ताक्षर लिये थे। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी संख्या-1 को जांच रिपोर्ट की प्रति नही भिजवाई है और न ही उक्त जांच से असंतुष्ट होने पर पुनः जांच हेतु फार्म नम्बर 8 में अपील आवेदन करने हेतु सूचित किया है, जिससे प्रतिवादीगण के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का हनन हुआ है। प्रतिवादी अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया निर्माता फर्म द्वारा निर्मित उक्त फेट केवल वनस्पति घी (वेजीटेबल फेट) ही है, उक्त फेट के निर्माण में आने वाले सभी तत्वों और उनकी प्रतिशत मात्रा का उल्लेख लेबल पर स्पष्ट रुप से किया है, उक्त फेट घी की श्रेणी में नही आता है और न ही डिब्बे पर घी शब्द अंकित किया हुआ है। उक्त फेट का अधिकतम उपयोग पशुओं के लिये होता है, इस कारण डिब्बे के लेबल पर पशु का चित्र अंकित किया गया है। प्रार्थी ने लेबल पर पशु के चित्र अंकन को मिथ्याछाप मानकर विधिक त्रृटि की है, उक्त अंकन मिथ्याछाप की श्रेणी में नही आता है। निर्माता फर्म द्वारा अंतिम तिथि का भी लेबल पर अंकन किया हुआ है। निर्माता फर्म ने सभी नियमों की पालना करते हुए वेजिटेबल फेट का उत्पादन व विक्रय किया है, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इसकी गलत रुप से व्याख्या कर इसे मिथ्याछाप मानने में कानूनी भूल की है। निर्माता फर्म ने भविष्य में इस तथ्य को लेकर कभी कोई कानूनी अडचन पैदा नही हो, इसके लिये नये उत्पादों पर लेबल से पशु का चित्र हटा दिया है, इसलिये प्रस्तुत आवेदन को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 15.8.2016 को 12.30 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स हरिओम किराना एण्ड जनरल स्टोर, विरोली रोड क्रास, हनुमान मंदिर के पास, वीरवाडा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म मैसर्स हरिओम किराना एण्ड जनरल स्टोर पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से शकर सिंह पुत्र श्री देवी सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- लौटाना, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म मैसर्स हरिओम किराना एण्ड जनरल स्टोर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विकय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के

....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवलसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री ताराचन्द रावल पुत्र श्री मखनाराम रावल, ग्राम- कोटडा, पोस्ट-वीरवाडा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही के समक्ष विकेता/खाद्यकारोबारकर्ता शंकर सिंह को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा उक्त दुकान की आलमारी में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) के 10 पैक्ड जार (प्रत्येक एक-एक लीटर) में से खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) के 4 पैक्ड जार (प्रत्येक एक-एक लीटर) खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 920/- (अक्षरे रुपये नौ सौ बीस मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता शंकर सिंह व उक्त गवाहों तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-634, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता शंकर सिंह व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) के चारों खरीद शुदा नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-634 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता शंकर सिंह व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता शंकर सिंह व उक्त गवाहों तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता शंकर सिंह से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) के चारों नमूना भागों को साथ लेकंर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को

....पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 16.8.2016 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 16.8.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) का नमूना संख्या S-634 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./918/Act/2016/947 दिनांक 24.8.2016 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स हरिओम किराना एण्ड जनरल स्टोर, विरोली रोड क्रॉस्, हनुमान मंदिर के पास, वीरवाडा पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता शंकर सिंह से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a), 3(1)(zf)(B)(ii) एवं 3(1)(zf)(c)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता शंकर सिंह को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र कमांक: एफएसएसए/2016/6204-06 दिनांक 23.9.2016 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर सूचित किया गया कि अगर उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप-8 में इस पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में प्रस्तुत करे, लेकिन संबंधित द्वारा अधिसूचित रेफरल लेब से नमूने की जांच कराने हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। उक्त पत्र की एक प्रति मय विश्लेषण जांच रिपोर्ट के निर्माता फर्म तिरुपति फड प्रोडक्टस्, R/6, Shiv Shakti Estate, B/h Alfa Hotel, At Post-Asalali, Ta. Daskoi, Dist. Ahmedabad को भी प्रेषित की गई है।

प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य भी साबित होता है कि प्रतिवादी शंकर सिंह की फर्म हरिओम किराना एण्ड जनरल स्टोर ने उक्त खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) के एक-एक लीटर के पैक्ड जारों को बिल नम्बर 00436 दिनांक 12.8.2016 के द्वारा मैसर्स अरावली स्टोर्स, सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, सिरोही से क्रय किया है, जो कि प्रतिवादी संख्या- 2 की फर्म है। प्रतिवादी संख्या- 2 की फर्म अरावली स्टोर्स, समपूर्णानन्द कॉलोनी, सिरोही द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) के एक-एक लीटर के पैक्ड जारों को फर्म पंचामृत प्रोडक्टस्, 20 तुलसी एवेन्यु, असलाली, तालुका दासकरोई, जिला अदमदाबाद से इनवोईस नम्बर TI/71-A दिनांक

.....पेज सात पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

09.8.2016 के द्वारा क्रय किया गया है, जो कि प्रतिवादी संख्या-3 की फर्म है। प्रतिवादी संख्या-3 की फर्म पंचामृत प्रोडक्टस् ने उक्त खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) के एक-एक लीटर के पैक्ड जारों को TIRUPATI FOOD PRODUCTS, R/6, Shiv Shakti Estate, B/h Hotel Alfa, At Post-Aslali, Ta. Daskoi, Dist. Ahmedabad-382427 से बिल नम्बर A/84 दिनांक 03.8.2016 के द्वारा क्रय किया गया था, जो उक्त खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) की निर्माता फर्म है। इससे, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म TIRUPATI FOOD PRODUCTS, R/6, Shiv Shakti Estate, B/h Hotel Alfa, At Post-Aslali, Ta. Daskoi, Dist. Ahmedabad-382427 द्वारा मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) का निर्माण एवं विक्रय किया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, प्रकरण में मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ INTER ESTERIFIED Veg. FAT (Shree Amrut Brand) के निर्माण व विक्रय हेतु मुख्य रुप से निर्माता फर्म एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड दोषी पाई जाती है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 1 से 3 को आरोप मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत निर्माता फर्म TIRUPATI FOOD PRODUCTS, R/6, Shiv Shakti Estate, B/h Hotel Alfa, At Post-Aslali, Ta. Daskoi, Dist. Ahmedabad-382427 पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी संख्या- 4 (शांतिलाल पुत्र कालुभाई पटेल) को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म TIRUPATI FOOD PRODUCTS, R/6, Shiv Shakti Estate, B/h Hotel Alfa, At Post-Aslali, Ta. Daskoi, Dist. Ahmedabad-382427 पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

19.12.18

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही